<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 44/2024 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. श्रीमती लच्छुबाई पत्नी स्वर्गीय लेहरसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोहनसिंह पिता स्वर्गीय लेहरसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. चरणसिंह पिता स्वर्गीय लेहरसिंह जी राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती मोहनबाई पत्नी स्व. लालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मणसिंह पिता स्वर्गीय लालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. भगवतसिंह पिता स्वर्गीय लालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सलियाबाई पुत्री स्व. लालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. दौलतसिंह स्वर्गीय लालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती सीमा पत्नी स्व. शिशुपालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. सुश्री कृतिका पुत्री स्वत्र शिशुपालसिंह जी राठौड़ नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सीमा पत्नी स्व. शिशुपालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
8. मानवेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र स्व. शिशुपालसिंह जी राठौड़ नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सीमा पत्नी स्व. शिशुपालसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested

9. सुमेरसिंह पिता कालूसिंह जी राठौड़, जाति राजपूत, निवासी लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव दि0
06.02.2024 प्रकरण संख्या 110/2019

---/---

उपस्थित :– 1– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 9
3– श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक रे.सं.10

---::---

निर्णय दिनांक 03–07–2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 8 के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय लालसिंह एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा) में साबिक आराजी नंबर 73 रकबा 14 बिस्वा हाल आराजी नंबर 263 रकबा 0.1000 हैक्टर, साबिक आराजी नंबर 74 रकबा 15 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 261 रकबा 0.01550 हैक्टर एवं आराजी नंबर 262 रकबा 0.0100 हैक्टर जिसमें मकान बना हुआ है, स्थित है। दिनांक 01–09–1971 को हमेरसिंह पिता नंगसिंह राजपूत ने आराजी नंबर 73 रकबा 14 बिस्वा बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 263 रकबा 0.1000 हैक्टर बने सम्पूर्ण रकबा तथा आराजी नंबर 74 रकबा 15 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 261 रकबा 0.01550 हैक्टर एवं आराजी नंबर 262 रकबा 0.0100 हैक्टर का 1/2 हिस्सा विक्रय किया। उक्त विक्रय वादी संख्या 1 लालसिंह के पिता कालूसिंह, लेहरसिंह पिता कालूसिंह एवं सुमेरसिंह पिता कालूसिंह के नाम किया गया, किन्तु लेहरसिंह का लगभग 2 वर्ष पूर्व निधन हो जाने से उसके विधिक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ... 1973 में वादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested

सुमेरसिंह एवं मृतक लेहरसिंह ने वादी संख्या 1 लालसिंह के पक्ष में एक लिखा–पढ़ी कर दी कि वादग्रस्त आराजियात में उनका कोई हित व अधिकार नहीं रहा, तब से वादी संख्या 1 उक्त भूमि का आधिपत्याधारी होकर काबिज चला आ रहा है। इसी प्रकार दिनांक 04–09–1992 को भंवरसिंह प्रतिवादी संख्या 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमती धापूबाई ने भी अपना हित व अधिकार वादी संख्या 1 के पक्ष में लिख दिया। इसी प्रकार दिनांक 24–01–1974 को हमेरसिंह, गुमानसिंह, कालूसिंह पिता नंगसिंह जी ने उक्त भूमि के संबंध में एक लिखा–पढ़ी कर दी कि इस जमीन का एक मात्र मालिक वादी संख्या 1 लालसिंह है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात में कोई हित व अधिकार नहीं है, केवल मात्र खाते में नाम दर्ज है। विवादित भूमि पर वादी संख्या 1 का मकान बना होकर परिवार सहित निवास करता है तथा चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। उक्त आराजियात पर वादी करीब पिछले 40 वर्षो से काबिज चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः विवादित आराजियात का वादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–02–2024 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 स 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–06–2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, जब नामान्तरकरण खुला तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 12 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

6. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपील करीब 2 माह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, जिसे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 दूल्हेसिंह की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु उसके विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट/वादी ने जो दस्तावेज पेश किये हैं वह अनरजिस्टर्ड है, जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री दिनांक 06–02–2024 अपास्त की जावे तथा प्रकरण सुनवाई हेतु साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 10–07–2017 को लोक अदालत में अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं तथा बाद में उन्हें जवाब हेतु कई अवसर दिये गये हैं, किन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 12–02–2020 को उनके जवाब के अवसर बंद किये गये हैं। जिरह हेतु भी अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये गये, किन्तु जिरह नहीं किये जाने से उनके [illegible] अवसर बन्द किये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested

पारिवारिक समझौते का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

9. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वर्ष 1973 की एक लिखतम संलग्न है, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि वादी लालसिंह के भाई सुमेरसिंह व लेहरसिंह ने जो शामलाती भूमि क्रय की उसका रूपया अकेले लालसिंह द्वारा दिया गया इसलिए अब दोनों भाईयों का कोई उजर नहीं रहेगा। उक्त दस्तावेज पर तीनों भाईयों लालसिंह, सुमेरसिंह व लेहरसिंह के अलावा खुमाणसिंह व देवीसिंह के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी हैं। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01–09–1972 पत्रावली पर संलग्न है, जिसके अनुसार विवादित आराजियात का विक्रय हमेरसिंह पिता नंगसिंह द्वारा आराजी नंबर 73 रकबा 14 बिस्वा में अपना 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा तथा आराजी नंबर 74 रकबा 15 बिस्वा में अपना 1/2 हिस्सा लालसिंह, लेहरसिंह, सुमेरसिंह पिता कालूसिंह के पक्ष में किया गया है। उक्त बिकाव के बाद एक बिकावनामा ईकरार 20/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 04–09–1992 को विवादित भूमि बाबत् लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि हम सब हिस्सेदार अपने–अपने हिस्से के पैसे लेकर जमीन लालसिंह को सुपुर्द कर दी है। उक्त दस्तावेज हालांकि अनरजिस्टर्ड है तथा अपीलान्ट ने भी इसी को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताया है, किन्तु इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें संलग्न है, जिसके अनुसार पारिवार समझौते का मुद्रांकित एवं रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। उक्त लिखा–पड़ी को एक भाई सुमेरसिंह ने स्वीकार किया है तथा दिनांक 13–09–2023 को पुनः 500/– रूपये के स्टाम्प पर एक लिखतम की है, जिस पर लालसिंह की पत्नी मोहनबाई के हस्ताक्षर हैं। जबकि दूसरे भाई लेहरसिंह के वारिस जो अपीलान्टगण ने उक्त लिखतम को स्वीकार किया। हम प्रकरण में यह पाते हैं कि अपीलान्टगण द्वारा की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलान्टगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested

जवाब एवं साक्ष्य की जिरह हेतु कई अवसर दिये गये हैं, किन्तु उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं वादी के गवाहान से जिरह नहीं करने के कारण उनके जवाब व जिरह के अवसर को बन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी लालसिंह द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के आधार पारिवारिक समझौता एवं सहमति इकरार के आधार पर वादी का वाद डिक्री करते हुए उसे विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

10\. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर........
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰ ....

श्रीमती लच्छुबाई पत्नी स्व. लेहरसिंह, नि0 लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तह. बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

श्रीमती मोहनबाई पत्नी स्व. लालसिंह, नि0 लियों का गुड़ा (दया का गुड़ा), तह. बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......44/2024...........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....बड़गांव... मुकाम.............मुवर्खे.............06............माह..........02..........2024........

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....03...माह......07..........सन् 2025 रूबरू..........पक्षकारान व हाजरी.........श्री रामलाल मेघवाल........मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री नरेन्द्र चौधरी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)....रूपये...... X........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......03.......माह.......07..........2025........ को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested